राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्र महिला

@NCWIndia @NationalCommissionforWomen

www.ncw.nic.in

खंड 1 संख्या 221 | दिसम्बर 2017

समाचार पत्र

समाचार झलकियां >>

राज्य महिला आयोगों के साथ विचारों का विनिमय

राज्य महिला आयोगों के प्रतिनिधियों के साथ श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्षा (प्रभारी) बीच में, साथ में हैं श्री आलोक रावत, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग (बाएं) और डॉ. सतबीर बेदी, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग (दाहिने)

राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा (प्रभारी) श्रीमती रेखा शर्मा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के उद्देश्य के समर्थन में रायपुर राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित मीटिंग में भाषण करती हुई

एकल केंद्र में महिलाओं के मुद्दों का समाधान

सदस्य सुषमा साहू आयोग के पास दर्ज कुछ मामलों का समाधान करने के लिए 4 दिसम्बर, 2017 को पटना, बिहार के छज्जू बाग स्थित एकल केंद्र गईं और किसी समाधान पर पहुंचने के लिए पक्षों को परामर्श दिया।

भारतीय मूल के व्यक्तियों के एक प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रीय महिला आयोग से मुलाकात

भारतीय मूल के व्यक्तियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत को जानिए कार्यक्रम के 44वें अध्याय के भाग के रूप में भारत का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल, जिसमें फिजी द्वीपसमूह, गुयाना, इज़रायल, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबेगो जैसे देशों से 40 युवा विद्यार्थी और पेशेवर लोग शामिल थे, 18 दिसम्बर, 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग में आया। प्रतिनिधिमंडल ने महिला-पुरुष समानता और समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, संरक्षण और भारत में महिलाओं को सुलभ विशेष अधिकार और देश में महिलाओं की मुख्यधारा में भागीदारी के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के साथ विस्तृत बातचीत की। भारतीय मूल के व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात की प्रशंसा की कि आयोग, जो स्वयं एक छोटा निकाय है, गैर-सरकारी संगठन, विश्वविद्यालयों, पुलिस, राज्य महिला आयोगों और राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अन्य आयोगों के साथ सहयोग से अपनी भूमिका निभा रहा है। प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि आयोग कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी मिलकर कार्य करता है।

प्रतिनिधिमंडल को यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग देश के विभिन्न भागों में रहने वाली महिलाओं को उनके जीवन के प्रत्येक चरण में विशेष आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए सभी कदम उठाता है और यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न कानूनों को जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं को संरक्षण, दहेज निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियय और अन्य कानूनों को उचित तरीके से लागू किया जाए। ■

संपादकीय

सशक्त होती महिलाएं

वर्ष 2017 को महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में एक नए युग की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा क्योंकि पूरे विश्व में महिलाएं अपने ऊपर लगे निषेधों और प्रतिबंधों को त्याग रही हैं और वे खुल कर प्रताड़ना की भयावह कहानियां और जड़ें जमा चुके पूर्वाग्रहों और प्रचालित पुरुष प्रधान समाज के कारण उन्हें उनका अधिकार न मिलने की बात समाज के सामने रख रही हैं।

#मैंभी उन महिलाओं के लिए एक ऐसा मंच बन गई है जो बिना शर्म के अपने साथ दुर्व्यवहार करने वालों के बारे में बोलना चाहती हैं। अपनी आवाज़ उठाने से और शिकायतों पर बोलने से वह मनोवैज्ञानिक अवरोध ढह गया है जिसने महिलाओं को उन पर की जा रही प्रताड़ना के बारे में खुल कर बोलने से रोक रखा था। भारत में भी प्रतिष्ठित महिलाओं से लेकर जनसाधारण तक की महिलाएं अधिक संख्या में अपनी आवाज़ बुलंद करने लगी हैं, वे एक-दूसरे के अनुभवों को पढ़ती हैं और अपनी प्रतिक्रिया देती हैं और एक आंदोलन तैयार कर रही हैं मानों कह रही हों कि 'अब ऐसी बुराइयों को सहन नहीं किया जायेगा'।

हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मंच, विज्ञापन और सिनेमा सहित, ने महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार करने और उनके अधिकारों की आवाज़ उठाने के मामलों में एक प्रत्यक्ष परिवर्तन देखा है।

महिलाओं के ऐसे सशक्तिकरण और अपने तरीके से सोचने की स्वतंत्रता और अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने और दूसरों के आदेश के आगे न झुकने से महिलाओं के लिए पारंपरिक मानदंडों से ऊपर उठने के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है और वे सभी क्रियाकलापों में बराबरी का भागीदार बनने की स्थिति में आ गई हैं। ■

आयोग का तिहाड़ जेल का निरीक्षण

देश में जेलों का निरीक्षण करने के अपने वर्तमान गतिविधि के भाग के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जेलों में महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत प्रोफार्मा तैयार किया है। देश में सभी जेलों को प्रोफार्मा भरकर राष्ट्रीय महिला आयोग को देने के लिए कहा गया है। आयोग की एक चार-सदस्यीय टीम ने 22 नवम्बर, 2017 को तिहाड़ जेल का दौरा किया ताकि महिला कैदियों के साथ व्यवहार, उनके रहने की स्थिति की दशा और उन्हें उपलब्ध सुविधाएं जिनमें कौशल विकास, सफाई, चिकित्सा सुविधाएं, कानूनी प्रतिनिधित्व कर सकना, निष्पक्ष और शीघ्र मुकदमा, रहन-सहन की समुचित स्थितियां, आदि का आंकलन किया जा सके। आयोग जेल प्राधिकारियों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है कि कैसे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ■

सांख्यिकी ब्यौरा :
महिला और व्यक्तिगत स्वच्छता

एनएफएचएस 2015-16 के दौरान एकत्रित आंकड़ों का रेखांकित चित्रण।

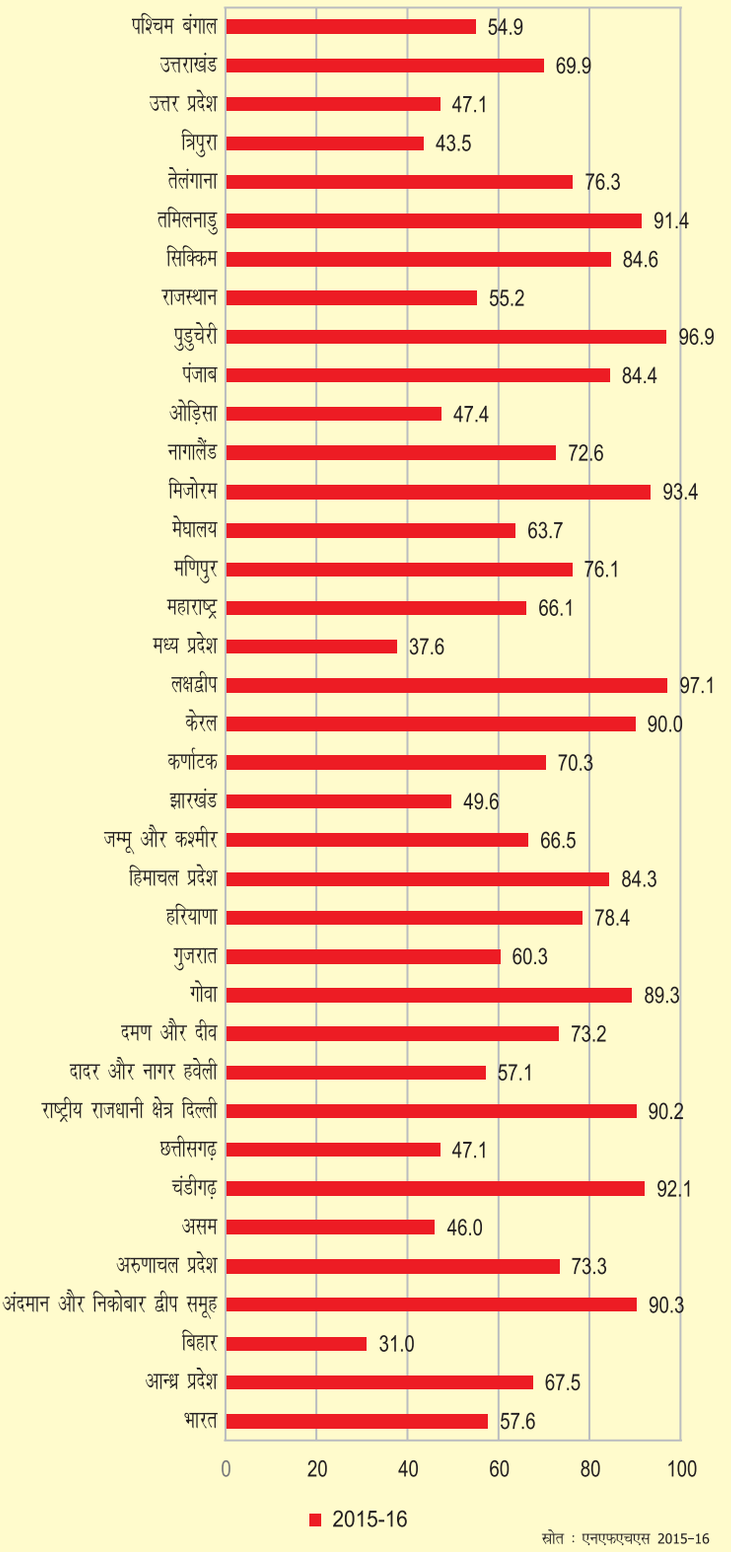

स्रोत : एनएफएचएस 2015-16

मणिपुर : पंचायती राज संस्थाओं की महिला सदस्यों का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय महिला आयोग की एक दो-सदस्यीय टीम, जिसमें सदस्य आलोग रावत और वरिष्ठ समन्वयक, सुश्री एम. लीलाबती शामिल थे, मणिपुर में पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के साथ चर्चा करने के लिए 28 नवम्बर, 2017 को इम्फाल, मणिपुर गई। ■

हरियाणा : निचले स्तर से जागरूकता पैदा करना

एमिटी विश्वविद्यालय, हरियाणा द्वारा 9 नवम्बर, 2017 को विधि जागरुकता पर आयोजित एक-दिवसीय कार्यक्रम के अवसर पर बोलती हुई सदस्या सुषमा साहू ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरुकता निचले स्तर पर पैदा करने की आवश्यकता है, विशेषकर सबसे अधिक हमारे घरों, स्कूलों, कॉलेजों, हमारे सहकर्मियों के बीच और वास्तव में उन लोगों के बीच जिनसे हम रोजमर्रा के जीवन में मिलते हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से पैदा की जा रही जागरुकता अभियान का भाग था। सदस्या सुषमा साहू ने प्रतिभागियों को अपने अनुभव व्यक्त किए। ■

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ से

- ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड में रहने वाली एक भारतीय महिला से अपने पति, जो ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड में रहने वाला एक अनिवासी भारतीय है, वे वैवाहिक अनबन के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें मामले को सौहार्दपूर्वक सुलझाने का अनुरोध किया गया है। चूंकि दोनों पक्ष न्यूज़ीलैंड में थे इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने इनको परामर्श देने के लिए न्यूज़ीलैंड स्थित उच्चायोग के पास मामला उठाया। चांसरी प्रमुख, भारतीय उच्चायोग, न्यूज़ीलैंड ने सूचित किया कि दोनों पक्षों ने अपने मामलों को सुलझा लिया है और पारस्परिक तलाक की एक याचिका पहले से ही न्यायालय में है।
- फिनलैंड में रहने वाली एक भारतीय महिला की बहन से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि उसकी बहन के पति ने उसकी बहन को परेशान किया और उसे फिनलैंड में छोड़ गया है। पीड़िता वहां अकेली रह रही है और सहायता की मांग की गई है ताकि वह वहां पर रह सके और काम कर सके। फिनलैंड में भारतीय दूतावास के पास मामला उठाया गया और वहां से तत्काल उत्तर मिला जिसमें कहा गया कि काउंसलर ऑफिस ने उससे टेलीफोन पर संपर्क किया और पुष्टि की कि वह फिनलैंड में हैल्थ केयर कोर्स कर रही है और भारत में उसके माता-पिता और ससुराल वाले तलाक के मामले पर विचार कर रहे हैं। दूतावास ने उसको आश्वस्त किया कि यदि वह और आगे सहायता चाहती है तो वह उनसे संपर्क कर सकती है। ■

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 2017 में किए गए कार्यक्रम

पीपीएमआरसी द्वारा आयोजित सेमिनार और रिसर्च स्टडीज़	15 सेमिनार और 6 रिसर्च स्टडीज़
विधि जागरुकता शिविर	59
कानून की समीक्षा	1
कॉलेजों में विधि जागरुकता कार्यक्रम	1051
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण कार्यक्रम	04
राज्य महिला आयोग के साथ पारस्परिक बैठकें	03

2017 के महिला पक्ष निर्णय

- **इंडिपेंडेंट थाउट बनाम भारत सरकार**

इस मामले में, उच्चतम न्यायालय के एक डिवीज़न बेंच ने कहा कि नाबालिग पत्नी (18 वर्ष से कम) से यौन संबंध बलात्कार माना जाएगा।

- **पवन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य**

इस मामले में न्यायाधिशों ने कहा कि किसी भी लड़की को जीवन का अधिकार है और वह अपनी पसंद के अनुसार प्यार करने की हकदार है। उसकी अपनी पसंद है जिसे कानूनी मान्यता मिली हुई है। इसका सामाजिक रूप से आदर किया जाना चाहिए। कोई किसी महिला को प्यार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, उसे अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। ■

आयोग द्वारा सफल हस्तक्षेप

मातृत्व लाभ अधिकार न दिया जाना

मातृत्व लाभ न दिए जाने के एक मामले में एक मध्य स्तर की महिला एक्जीक्युटिव ने, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्य कर रही एक रियल एस्टेट डेवलपर ग्रुप के मानव संसाधन विभाग में तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है, ई-मेल के जरिए राष्ट्रीय महिला आयोग को एक शिकायत दायर की है, उसने कथित रूप से आरोप लगाया है कि उसे उसके गर्भवती होने के कारण अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होने/सेवा-समाप्ति स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है उसने आगे यह भी आरोप लगाया कि पद त्याग से इंकार करने पर उसे सेवा-समाप्ति पत्र जारी किया गया है।

आयोग ने मामले में हस्तक्षेप किया और मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने मामले के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान तथ्यों की जांच के आधार पर आयोग ने प्रतिवादी को परामर्श दिया कि वह शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए मामले की जांच उसे मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों के संदर्भ में करें और हमारे कानून से मिलने वाले लाभों को देने से इंकार करने के परिणामों से अवगत कराया। आयोग शिकायतकर्ता को उसी कंपनी में उसकी नौकरी बहाल करने में सहायता देने में सफल रहा। ■

मुम्बई के पत्रकार ने अशोभनीय व्यवहार की शिकायत की

अशोभनीय व्यवहार के एक मामले की रिपोर्ट करते हुए मुम्बई में एक वरिष्ठ रिपोर्टर के तौर पर कार्य कर रही एक महिला पत्रकार ने संस्थापक एडीटर के विरुद्ध उसके साथ कथित दुर्व्यवहार करने के लिए महिला और बाल विकास केन्द्रीय मंत्री को एक ई-मेल भेजा। उसने अमबोली पुलिस स्टेशन, मुम्बई में प्राथमिकी दायर की और यह रिपोर्ट की कि प्रतिवादी ने एक डब्ल्यू पी दायर की थी जिसमें उसे माननीय बम्बई उच्च न्यायालय में एक आपराधिक डब्ल्यू पी में एक पक्षकार बनाया है। उसने मामले में मुम्बई पुलिस की धीमी प्रगति की शिकायत की।

इस उक्त मामले को, जिसे आयोग द्वारा मुम्बई पुलिस को भेजा गया था, मुम्बई में हुई जन-सुनवाई के दौरान लिया गया। जन-सुनवाई में, मुम्बई पुलिस को कोर्ट में और आव्रजन प्राधिकारियों के साथ भी मामले पर तत्पर कार्यवाही करने का परामर्श दिया। इस बीच, मुम्बई पुलिस ने सूचित किया कि आरोपी पर, जो पहले अमेरिका में था, निगरानी रखी जा रही थी और सहर हवाईअड्डा, मुम्बई पहुंचने पर उसे रोक लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक अभियोग पत्र भी दायर किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा दायर आपराधिक डब्ल्यू पी भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। ■

संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत

जोधपुर, राजस्थान में एक जन-सुनवाई के दौरान, आयोग को 1 अप्रैल, 2017 को जोधपुर के एक निवासी से पुणे में उसकी पुत्री की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने मार्च, 2017 में पुणे में दायर प्राथमिकी के बारे में ब्यौरे का उल्लेख किया और अपनी मृत पुत्री की चोट के निशानों वाली नृशंस तस्वीरें भेजीं। पीड़िता अपनी मृत्यु के समय पुणे में अपने पति के साथ रह रही थी। यद्यपि स्थानीय पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया था, शिकायतकर्ता ने पुणे में जांच प्रक्रिया की धीमी गति के बारे में बताया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मामले को पुलिस आयुक्त, पुणे को भेजा और आगे मामले पर कार्यवाही की और 27 जून, 2017 को पुणे में जन-सुनवाई के दौरान इसे उठाया। आयोग के निरंतर प्रयासों के कारण पति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एक आरोप पत्र दाखिल किया गया। आयोग ने जिला विधि-सेवा प्राधिकरण के माध्यम से शिकायतकर्ता को परामर्श सुलभ कराया। ■

नीति : "तीन बार तलाक" एक दांडिक अपराध

28 दिसम्बर, 2017 को लोक सभा ने एक विधेयक पारित किया जिसमें उसी समय "तीन बार तलाक" बोलने को एक दांडिक अपराध बनाया गया। विधेयक में उस मुस्लिम पुरुष के लिए तीन वर्ष का कारावास देने का प्रस्ताव है जो 'तलाक' शब्द को तीन बार कह कर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। इससे पहले अगस्त 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'तलाक' शब्द तीन बार कहना अमान्य घोषित कर दिया था। यह न्याय निर्णय सुनिश्चित करेगा कि किसी मुस्लिम महिला के विवाह पर आंच नहीं आएगी और अन्य महिलाओं की भांति उन्हें भी कानून का, आपराधिक और सिविल दोनों, का विकल्प उपलब्ध रहेगा। समाज के कुछ वर्गों की आपत्तियों को देखते हुए विधेयक पर राज्य सभा में विचार नहीं हो सका। ■

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110025 द्वारा प्रकाशित। **सम्पादकः वनीता अखौरी** आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साइड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित।